अनुदान संख्या 11 – औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग
GRANT No. 11–DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
पूरक	*Supplementary*		*45,00*	*27,81*	*-17,19*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीक त-	Voted–				
मूल	Original	673,45,00	701,36,00	619,68,75	–81,67,25
पूरक	Supplementary	27,91,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				58,50,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीक त-	Voted–		50,00,00	50,00,00	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*17.19 लाख रु.*) फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए *45.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* का 38 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*Rs.17.19 lakhs*) constituted 38 percent of the supplementary *appropriation* of *Rs.45.00 lakhs* obtained in February, 2009.

Saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2885" उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlays on Industries and Minerals				
पू.	*S.*	*45.00*	*45.00*	*27.81*	*–17.19*

(I) ''पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता - निवेश आर्थिक सहायता - पुराना'' के अंतर्गत *45.00 लाख रु.* की निधियां पूरक *विनियोग* प्राप्त करके उपलब्ध कराई गईं थीं, तथापि, जो संबंधित राज्य सरकारों से निधियों के संवितरण संबंधी अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण *17.19 लाख रु.* की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(I) Under "Development of Backward Areas – Subsidies – Investment Subsidy – Old" – funds of *Rs.45.00 lakhs* were provided by obtaining supplementary *appropriation* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.17.19 lakhs* – due to non-receipt of essentiality certificate regarding disbursement of funds by the concerned State Governments.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (8167.25 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 2791.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.8167.25 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.2791.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 12 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''3451'' सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	2668.00			
पू.	S.	589.00	3212.65	3175.43	–37.22
पु.	R.	-44.35			
मुख्य शीर्ष ''2070'' अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	2009.00			
पू.	S.	365.00	2107.11	2013.91	–93.20
पु.	R.	-266.89			
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	9999.00	..	..	..
पु.	R.	–9999.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	39627.00			
पू.	S.	1256.00	37034.54	36495.32	–539.22
पु.	R.	–3848.46			
मुख्य शीर्ष "2885" उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlays on Industries and Minerals				
मू.	O.	5601.00			
पू.	S.	1.00	14417.00	14414.20	–2.80
पु.	R.	8815.00			
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	7441.00			
पू.	S.	580.00	7514.70	5869.89	–1644.81
पु.	R.	–506.30			

(I) 10102.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 9999.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2552" - "पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता - पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति पैकेज" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.10102.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.9999.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" – "Development of Backward Areas Subsidies – North East Industrial Policy Package" – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2852" - "उपभोक्ता उद्योग - अन्य - नमक" - 2170.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 462.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2632.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 620.09 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) समूह 'घ' के वेतन बैंड को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "3475" - "पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क का विनियमन - बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड" - 184.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 20.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 204.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 21.20 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग" - 2668.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 589.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3257.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 81.57 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के भरे न जाने के कारण हुईं।

(खा) मुख्य शीर्ष "2070" - "विस्फोटक - पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन" - 2009.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 365.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2374.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 360.09 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(गा) मुख्य शीर्ष "2852" - "सामान्य" -

(क) "प्रशुल्क तथा मूल्य विनियमन - प्रशुल्क आयोग" - 465.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 80.00 लाख

(A) Major Head "2852" - "Consumer Industries – Others - Salt" - the original provision of Rs.2170.00 lakhs was augmented to Rs.2632.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.462.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.620.09 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of Group 'D' Pay Band and economy measures.

(B) Major Head "3475" – "Regulation of Patents, Designs and Trade Mark – Intellectual Property Appellate Board" – the original provision of Rs.184.00 lakhs was augmented to Rs.204.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.20.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.21.20 lakhs (including supplementary grant); and

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Industrial Policy and Promotion" – the original provision of Rs.2668.00 lakhs was augmented to Rs.3257.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.589.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.81.57 lakhs.

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts.

(B) Major Head "2070" – "Explosives-Petroleum and Explosive Safety Organisation" – the original provision of Rs.2009.00 lakhs was augmented to Rs.2374.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.365.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.360.09 lakhs; and

(C) Major Head "2852" – "General" -

(a) "Tariff and Price Regulation-Tariff Commission" - the original provision of

रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 545.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 48.92 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

Rs.465.00 lakhs was augmented to Rs.545.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.80.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.48.92 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(ख) ''मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण - राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान'' - 25.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 278.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 303.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण 189.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Standardization and Quality Control - National Institute of Design" - the original provision of Rs.25.00 lakhs was augmented to Rs.303.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.278.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.189.00 lakhs - due to requirement of less funds for implementation of 6th Central Pay Commission Report.

(घ) मुख्य शीर्ष ''3475'' - ''पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क का विनियमन - पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक'' - 2421.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 560.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2981.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो किफायती उपाय किए जाने के कारण 286.70 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(D) Major Head "3475" – "Regulation of Patents, Designs and Trade Mark – Controller General of Patents, Designs and Trade Mark" – the original provision of Rs.2421.00 lakhs was augmented to Rs.2981.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.560.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.286.70 lakhs – due to economy measures.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2852''- ''सामान्य - अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2852" – "General – Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(क) ''औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम'' - 4201.70 लाख रु. की बचत (18000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दो नई परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Industrial Infrastructure Upgradation Scheme" - saving of Rs.4201.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.18000.00 lakhs) was due to non-approval of two new projects.

(ख) ''राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद'' - 140.86 लाख रु. की बचत (362.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(B) "National Manufacturing Competitiveness Council" - saving of Rs.140.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.362.00 lakhs) was due to economy measures.

(गा) ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं संयुक्त उद्यम - भारत में एशिया उद्यम तथा निवेश संवर्धन क्रियाकलाप'' - 705.79 लाख रु. की बचत (1400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चयनित विक्रेताओं द्वारा ई-बिज परियोजना के संबंध में मास्टर सेवा करार पर हस्ताक्षर न किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3475'' - ''पेटेंटों, डिजाइनों और ट्रेडमार्क का विनियमन - बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण'' के अंतर्गत 1768.85 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान के प्रावधान को दो भागों में विभक्त किए जाने और वर्ष 2008-09 के दौरान स्वीकृति प्राप्त न होने की वजह से प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत 82.87 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थी।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (3698.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2852'' -

(क) ''सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग - अन्य - राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद'' - 149.00 लाख रु.।

(ख) ''सामान्य'' -

(i) ''औद्योगिक शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण - केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 450.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 435.00 लाख रु. था।

(C) "International Co-operation & Joint Venture Asia Enterprises in India and Investment Promotion Activities" - saving of Rs.705.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1400.00 lakhs) was due to non-signing of Masters Service Agreement by the selected vendors in respect of e-Biz project.

(V) Under Major Head "3475" - "Regulation of Patents, Designs and Trade Mark - Modernisation & Strengthening of Intellectual Property Office" - saving of Rs.1768.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to bifurcation of the provision of National Institute of Intellectual Property Management (NIIPM) being provided under this head and non-finalisation of proposals on account of non-receipt of sanction during 2008-09.

(VI) Under one head saving of Rs.82.87 lakhs occurred constituting 14 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.3698.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2852" –

(a) "Cement and Non-metallic Mineral Industries – Others - National Council for Cement and Building Materials" – Rs.149.00 lakhs.

(b) "General" –

(i) "Industrial Education Research and Training - Central Manufacturing Technology Institute" – Rs.450.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.435.00 lakhs.

(ii) ''अन्य व्यय - भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम'' - 1000.00 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2885'' - ''पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता'' -

(क) ''विकास केंद्र'' - 1099.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1097.20 लाख रु. था।

(ख) ''जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को विशेष श्रेणी राज्यों के लिए पैकेज'' - 1000.00 लाख रु.।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2885'' - ''पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''केंद्रीय ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम'' - 1639.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) ''पूर्वोत्तर के लिए व्यापक बीमा स्कीम'' - 360.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) ''पूंजीगत निवेश आर्थिक सहायता'' - 4817.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "Other Expenditure - Indian Leather Development Programmes" - Rs.1000.00 lakhs.

(B) Major Head "2885" – "Development of Backward Areas –Subsidies" -

(a) "Growth Centres" – Rs.1099.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1097.20 lakhs.

(b) "Package for Special Category States for J&K, HP and Uttarakhand" – Rs.1000.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2885" – "Development of Backward Areas – Subsidies" – under the following heads:-

(A) "Central Interest Subsidy Scheme" – excess of Rs.1639.00 lakhs (against nil provision);

(B) "Comprehensive Insurance Scheme for NE" – excess of Rs.360.00 lakhs (against nil provision); and

(C) "Capital Investment Subsidy" – excess of Rs.4817.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.